नगर पंचायत केलाखेड़ा, ऊधमसिंह नगर

उपविधि

नगर पंचायत केलाखेड़ा, ऊधमसिंह नगर सीमान्तर्गत, (उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-१९१६ की धारा-२९८ (उत्तराखंड मे यथा प्रवृत) की उपधारा-२ खंड (ज) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत केलाखेड़ा द्वारा नगर पालिका अधिनियम-१९१६ की धारा १२८ की उपधारा-1 (II) (III) एवं धारा-२९४ के तहत विभिन्न व्यापार और आजीविका पर लाइसेंस शुल्क आरोपित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या ३९९ /वी-९५-२०४ (जनरल)/९४ दिनाक २०/१०/१९९४ के अनुसार विभिन्न व्यवसायो हेतु "व्यावसायिक लाइसेंस एव शुल्क वसूली उपविधि-२०२२" बनायी गयी, जो बोर्ड प्रस्ताव संख्या ०२, दिनाक २४/१२/२०२२ को विशेष संकल्प से पारित हुई।

अत: नगर पालिका अधिनियम-१९१६ की धारा-३०१(१) के अंतर्गत जनसामान्य एव जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उपविधि का प्रकाशन आपत्ति एव सुझाव हेतु नगर पंचायत केलाखेड़ा की वेबसाइट-www.nppkelakhera.in पर एवं कार्यालय नगर पंचायत केलाखेड़ा के अधिष्ठान एवं निर्माण अनुभाग में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं जिसका अवलोकन प्रकाशन की तिथि को प्रातः १० बजे से किया जा सकता है।

नगर पचायत केलाखेड़ा द्वारा प्रकाशन की तिथि से निर्धारित अवधि ३० दिन के अंदर आपत्तियां /सुझाव आमंत्रित किये जाते है, आपत्तिकर्ता निर्धारित तिथि १३-०३-२०२३ को सायं ४:०० बजे तक अपनी आपत्तियां लिखित रूप में अधिशासी अधिकारी नगर पचायत केलाखेड़ा जिला –उधम सिंह नगर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त आपतियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

"व्यावसायिक लाईसेस एव शुल्क वसूली उपविधि-२०२२"

1 संछिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ :-

(क) यह उपविधि नगर पंचायत केलाखेड़ा, उधम सिंह नगर " व्यावसायिक लाईसेंस एव शुल्क वसूली उपविधि-२०२२" कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत केलाखेड़ा, उधम सिंह नगर की सीमा मे प्रव्रत्त होगी।

(ग) यह उपविधि नगर पंचायत केलाखेड़ा, उधम सिंह नगर द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गज़ट मे प्रकाशन की तिथि से प्रव्रत्त होगी।

2 परिभाषाऐ :-

किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

(क) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत केलाखेड़ा, उधम सिंह नगर से है।

(ख) "सीमा" का तात्पर्य नगर पंचायत केलाखेड़ा, उधम सिंह नगर की सीमाओ से है।

(ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत केलाखेड़ा, उधम सिंह नगर से है।

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत केलाखेड़ा, उधम सिंह नगर के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत केलाखेड़ा, उधम सिंह नगर के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यो से है।

(च) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0, नगर पालिका अधिनियम-१९१६ (उत्तराखंड मे यथाप्रव्रत्त) संशोधन एव उपनांतरण आदेश-२००२ से है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

Scanned with CamScanner

(छ) "लाईसेंस" का तात्पर्य नगर पंचायत केलाखेड़ा की सीमांतर्गत किये जाने वाले विभिन्न व्यापार ओर आजीविका के लाईसेंस दिये जाने एव उनसे निर्धारित शुल्क वसूली से है।

(ज) " अवधि" का प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा (१ अप्रैल से ३१ मार्च) १ वर्ष के लिये तक दिये जाने वाले व्यवसायिक लाईसेंस से है।

3 लाईसेंस:-

1. आवेदक द्वारा लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ दो फोटो (पासपोर्ट साइज़) खिची होनी तथा आवेदन मे व्यवसाय का मद एव विवरण भी देना होगा।
2. प्राप्त आवेदन पत्र पर नगर पंचायत द्वारा समुचित विचारोपरान्त १५ दिवस के अंदर शुल्क लेकर लाईसेंस दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा, जिसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी।
3. सूची मे वर्णित व्यवसायिक लाईसेंस १ अप्रैल से ३१ मार्च तक की अवधि के बीच व्यवसायिओ द्वारा प्रत्येक दशा मे बनाया जाना अनिवार्य होगा। इस लाईसेंस की अवधि १ अप्रैल से ३१ मार्च (एक वित्तीय वर्ष) तक वैध होगी अन्यथा स्थिति मे विलंब शुल्क जो १० प्रतिशत लाईसेंस अधिकारी द्वारा निर्धारित करते हुये वसूल किया जायेगा।
4. लाईसेंस जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी मे निहित होगा।
5. जांचकर्ता के जांच के समय व्यवसाय से संवन्धित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध करने का उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता का होगा।
6. लाईसेंस अधिकारी स्वयं अथवा अपनी एजेंसी, अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जांच का कार्य संपादित करा सकता है, जो नगर पंचायत के कर निरीक्षक स्तर से कम नही होगा।
7. लाईसेंस धारक अपना व्यवसाय बदलता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक माह के अंदर नगर पंचायत मे अपने पुराने लाईसेंस विवरण के साथ लिखित रूप मे उपलब्ध करा देगा।
8. उक्त सूची मे वर्णित लाइसेंसो के नियमो का उल्लघन होने के दशा मे लाईसेंस अधिकारी जनहित मे किसी भी समय लाईसेंस निरस्त करा सकता है। लाईसेंस अधिकारी के आदेशो के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करता है तो उस अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष, नगर पंचायत केलाखेड़ा मे निहित होगा।
9. व्यवसायिक लाइसेन्स की दरे प्रतिवर्ष निम्नवत होगी, जो व्यापारी/व्यक्ति लाईसेंस नहीं बनाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये बकाया लाईसेंस की धनराशि की वसूली १० प्रतिशत सर-चार्ज सहित भू-राजस्व के रूप मे वसूली प्रमाण पत्र (आर0 सी0) जिलाधिकारी को प्रेषीत कर दी जायेगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

Scanned with CamScanner

व्यवसायिक लाईसेंस शुल्क की दरे

क्रम0 स.0	व्यवसाय का विवरण	लाईसेंस शुल्क की प्रस्ताविक दर वार्षिक (रूपयेमें)
1	होटल लाजिंग/ गेस्ट हाउस/ आश्रम 10 शैया तक	1000
2	होटल लाजिंग/ गेस्ट हाउस/ आश्रम 10 से 20 शैया तक	2000
3	तीन सितारा होटल अथवा बिना स्टार 20 शैया से 30 शैया तक	5000
4	उपरोक्त 31 शैया से 40 शैया तक	6000
5	उपरोक्त 41 शैया से 50 शैया तक	10000
6	उपरोक्त 50 शैया से ऊपर	12000
7	तीन सितारा होटल	15000
8	पाँच सितारा होटल	20000
9	रेस्टोरेन्ट उच्च श्रेणी	2500
10	रेस्टोरेन्ट मध्यम श्रेणी	1000
11	रेस्टोरेन्ट सामान्य श्रेणी	500
12	घोड़ा तांगा	50
13	रिक्शा किराए पर (इ-रिक्शा)	100
14	रिक्शा (निजी चालित)	100
15	ठेला/ठेली	50
16	हाथ ठेली	50
17	बैल गाड़ी/ भैसा गाड़ी	100
18	ट्रैक्टर ट्राली / छोटा हाथी	100
19	अन्य चार पहियो के वाहन (व्यवसायिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	100
20	मोटर गैराज	500
21	स्कूटर गैराज/ रिपेयर शाप	100
22	मोटर वाहन एजेंसी (सेल्स/ सर्विस)	500
23	स्कूटरएजेंसी(दो पहिया/ तीन पहिया)	500
24	साईकिल की दुकान	50
25	पेट्रोल/डीजल पम्प थोक विक्रेता कंपनी	5000
26	पेट्रोल/डीजल पम्प फुटकर विक्रेता	5000
27	जनरेटर, डीजल/पेट्रोल	100
28	दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन	100
29	नर्सिंग होम/ अस्पताल	1500
30	क्लीनिक	100
31	मेडिकल स्टोर	100
32	कृषि यंत्र, दवाईया एव फ़र्टिलाईजर	500
33	धुलाई गई (लान्ड्री)	100
34	ड्राई क्लीनर	100

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

Scanned with CamScanner

35	फाईनेंस कंपनी, चिट फ़ंड	5000
36	इन्सोरेन्स कंपनी प्रति शाखा	5000
37	फाउन्डिंग इंजीनियरिंग इंडिस्ट्रियल	2000
38	आइस फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिंक सोडा ऐस्टेड वाटर फैक्ट्री	500
39	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	2000
40	आटा चक्की	250
41	गूदड़/ गुड़ गोदाम	250
42	कंकड़ तथा सुर्खी की भट्टी	1000
43	चूना	500
44	ईट का भट्टा	10000
45	सावुन फैक्ट्री	1000
46	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेंट, ईट वालू (थोक मोरंग, मारवल, टाइल्स, सेनेटरी, हार्डवेयर	500
47	फुटकर बिजली के सामान के विक्रेता	200
48	कपड़ा थोक विक्रेता	1 000
49	कैटरिंग	250
50	बेकरी (भट्टी)	500
51	वेकरी (पावर)	1500
52	हैयर कटिंग सैलून	100
53	ब्यूटी पार्लर	100
54	कुकिंग गैस एजेंसी	500
55	जनरल मर्चेट थोक	200
56	टेलरिंग हाउस (5 से अधिक कर्मचारी)	200
57	टेलरिंग हाउस (5 कर्मचारी तक)	100
58	कोयला (थोक विक्रेता)	500
59	कोयला (फुटकर विक्रेता)	100
60	पेंट की दुकान	200
61	जेवेलर्स (बड़े) 5 लाख से ऊपर टर्नओवर	2000
62	जेवेलर्स (छोटे) 5 लाख तक टर्नओवर	1000
63	विज्ञापन एजेंसी	500
64	डेयरी (दूध, पनीर, दही एव दूध से बनी अन्य पदार्थ	200
65	भूसा (थोक विक्रेता)	500
66	भूसा (फुटकर विक्रेता)	250
67	आडिओ/वीडियो लाईब्रेरी	100
68	मोबाइल विक्रेता/विभिन्न मोबाइल कम्पनियों के रीचार्ज एव मरम्मत की दुकान	100
69	केबिल टी0वी0	250
70	आर्कीटक्ट, कंसल्टेंट विधि चार्टेट एकाउटेंट, फास्ट एकाउंटेंट	500
71	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खंडसारी ((थोक विक्रेता)	500
72	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खंडसारी ((फुटकर विक्रेता)	100
73	टेंट हाउस	500

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

Scanned with CamScanner

74	टूर एंड ट्रैवल्स	500
75	साईबर कैफे (नेट सेवा प्रदाता)	100
76	मसाज केंद्र/ आयुर्वेदिक/ प्राकर्तिक चिकित्सा केंद्र	200
77	संगीत कला केंद्र	200
78	अंग्रेजी शराब की दुकान	18000
79	देशी शराब की दुकान	15000
80	पान की दुकान	100
81	चाय की दुकान	100
82	जनरल मर्चेन्ट की दुकान (फुटकर)	100
83	किताबों की थोक दुकान	100
84	किताबों की फुटकर दुकान	100
85	न्यूज़ पेपर	100
86	लकड़ी के टाल की दुकान (थोक विक्रेता)	1000
87	लकड़ी के टाल की दुकान (फुटकर विक्रेता)	500
88	टिंवर मर्चेन्ट	1000
89	रेडियो/ मैकेनिक/ टी0वी0 मरम्मत	100
90	टी0वी0 शाप/इलैक्ट्रोनिक वस्तुए शाप	100
91	फटिलाईजर शॉप	100
92	मिठाई की दुकान	100
93	चाट/बतासे की दुकान	100
94	ड्राई फ्रूट विक्रेता (थोक विक्रेता)	200
95	ड्राई फ्रूट विक्रेता (फुटकर विक्रेता)	100
96	गैस फिलिंग प्लांट	500
97	सब्जी की दुकान/ फल की दुकान	100
98	मसाले थोक विक्रेता	100
99	फर्नीचर की दुकान (शोरूम)	500
100	फर्नीचर विक्रेता	250
101	क्राकरी विक्रेता	100
102	चूड़ी विक्रेता	100
103	मिट्टी के तेल की दुकान	100
104	मनिहरी की दुकान	100
105	स्पोर्ट्स सामग्री विक्रेता	100
106	कंप्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर रिपेयर/ विक्रेता	100
107	कंप्यूटर शिक्षा केंद्र/ एकेडमी/ क्लास	500
108	परचून की दुकान	100
109	पकोड़ी विक्रेता	250
110	फास्ट फूड विक्रेता	250
111	फोटोशॉप की दुकान	100
112	मोबाइल टावर	20000

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा

Scanned with CamScanner

113	घड़ी की दुकान	100
114	कुत्ता पालन प्रति पशु	200
115	भैसा मास दुकान	1000
116	बकरा मास दुकान	500
117	मछली/ मुर्गा मास दुकान	100
118	सूअर मास दुकान	100
119	अंडे की दुकान	100

शास्ति

उपरोक्त उपनियम का उल्लघन नगर पालिका अधिनियम १९१६ की धारा २९ की उपधारा (१) के अंतर्गत दंडीय होगा जो मु0 1000=00 रूपये तक ही हो सकता है | उपनियम का उल्लघन निरंतर जारी रहने पर अग्रेतर जुर्माना लिया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमे व्यवसायी द्वारा निरंतर अपराध करते रहना सिद्ध हो जाता है मूल्य रूपये 25=00 प्रतिदिन तक हो सकता है | यह अधिकार, नगर पंचायत केलाखेड़ा, उधम सिंह नगर मे अंतिम रूप से निहित होगा |

10-02-2023

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
उधम सिंह नगर

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

अध्यक्ष
नगर पंचायत केलाखेड़ा
उधम सिंह नगर

अध्यक्ष
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

Scanned with CamScanner